न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

<u>अपील संख्याः 126/11</u> **निर्णय दिनांकः— 10.09.2018**

1. भंवरलाल
2. पूनमचन्द
3. विष्णु
4. सत्यनारायण
5. बसंती

पिसरान गिरधारीराम जाति सुथार निवासी तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

6. सरस्वती बेवा गिरधारीराम जाति सुथार निवासी गांव भोलासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांटस्

—बनाम—

1. किशनलाल पुत्र जेठाराम जाति सुथार निवासी भोलासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. लक्ष्मीदेवी पत्नी किशनलाल जाति सुथार निवासी भोलासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
3. सहायक अभियन्ता कोलायत, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार कोलायत।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 09—09—2011
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री सन्तनाथ, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री राजेश लदरेचा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2
3. श्रीगोपाल पुरोहित, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3
4. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के आदेश दिनांक 09—09—2011 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की गई, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि मौजारोही ग्राम भोलासर के पुराना खसरा नम्बर 30 जिसके नये खसरा नम्बर 182 में 39 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 32 जिसके नये खसरा नम्बर 183 तादादी 64 बीघा 1 बिस्वा कुल 103 बीघा 14 बिस्वा भूमि अपीलांट के दादा जेठाराम का 1/2 हिस्सा व प्रभूराम का 1/2 हिस्सा निहित है। जेठाराम ने अपने 1/2 हिस्से बाबत् दिनांक 17—08—1990 को अपीलांट के पिता गिरधारीराम व अपने पुत्र रेस्पोडेन्ट किशनलाल के नाम वसीयत निष्पादित की गई थी। उक्त वसीयत के मुताबिक अपीलांट वादगत् भूमि पर आज दिनांक तक काबित चला आ रहा है तथा वादगत् भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु विभाजन का दावा अदालत मातहत के समक्ष जैरकार है। उक्त दावे के साथ अपीलांट द्वारा धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर अपना विवेचन अंकित किये बिना ही अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी भूल कारित की गई है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 वादगत् भूमि के विभाजन से पूर्व ही विद्युत कनेक्शन लेने पर उतारू है जबकि संयुक्त खाते की भूमि व अविभाजित भूमि पर प्रत्येक काश्तकार का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त माना जाता है तथा अपीलांट का संयुक्त भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त है। यदि वादगत् भूमि के विभाजन से पूर्व वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा विद्युत कनेक्शन प्राप्त करते हुए ट्यूब वैल बनाया गया तो अपीलांट का ना पूरा होने वाला नुकसान होगा।

उन्होनें आगे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों की जॉच किये अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जो स्पष्ट रूप से कानून व नियमों के विपरीत होन से निरस्त योग्य है। क्योंकि वादगत् भूमि पर पक्षकारों का हक व हिस्सा अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में तय होने है। चूंकि अपीलांट अपने हक व हिस्से की भूमि पर आपसी मौखिक बंटवारें के अनुसार काबिज काश्त है तथा अपने हक व हिस्से की भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। कानून की स्पष्ट स्थिति है कि सुयंक्त खाते की भूमि का जब तक विधिवत विभाजन नहीं हो जाता है उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रस्तुत होते हुए भी कि रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि पर बिना विभाजन करवाये ही विद्युत कनेक्शन स्थापित किया जा रहा है, अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी भूल कारित की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे व वादगत् भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखने के आदेश प्रदान करावें।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि एक संयुक्त खाते की भूमि है। जिस पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 बाहमी बंटवारें के तहत अपने—अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। चूंकि वादगत् भूमि बारानी भूमि है ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि पर कुंआ लगाने से सभी को उत्पादन करने में सहयोग प्राप्त होगा तथा फसल भी अच्छी होगी। इस संबंध में अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गई थी कि यदि रेस्पोडेन्ट अपने हक व हिस्से की भूमि पर कुआं लगाकर अपने हिस्से की भूमि पर कृषि कनेक्शन प्राप्त करता है तो वह ऐसा करने हेतु स्वतन्त्र है तथा भविष्य में कभी एतराज नहीं करेगा। अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा उभय पक्षों की बहस सुनने के उपरान्त यह अंकित किया गया है कि न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री जारी करते समय अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का बंटवारां करते समय प्रार्थी के हित इस बात से प्रभावित नहीं होगें कि अप्रार्थी ने कुआं लगाया है तथा अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा भी अण्डरटेकिंग दी गई है कि यदि प्राथी/अपीलांट अपने हिस्से की भूमि पर कुआं लगाता है तो भविष्य में कभी एतराज नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादगत् भूमि मौजारोही ग्राम भोलासर के पुराना खसरा नम्बर 30 जिसके नये खसरा नम्बर 182 में 39 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 32 जिसके नये खसरा नम्बर 183 तादादी 64 बीघा 1 बिस्वा कुल 103 बीघा 14 बिस्वा भूमि के बाबत् अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के फलस्वरूप अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है।

(2) अपीलांट का कथन है कि वादगत् भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी भूमि है जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा वादगत् भूमि का बिना विभाजन करवाये विद्युत कनेक्शन प्राप्त करते हुए कृषि कुआं स्थापित किया जा रहा है। जिसका रेस्पोडेन्ट को कतई अधिकार हासिल नहीं है क्योंकि विभाजन से पूर्व सभी पक्षकारों का प्रत्येक इंच पर बराबर हक व हिस्सा निहित होता है। अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य साबित होने के उपरान्त भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी भूल कारित की गई है।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिसके अवलोकन से साबित है कि वादगत् भूमि एक पैतृक सम्पति है।

(4) रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम किये जाने की इस्तदुआ की गई। अदालत मातहत द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् वादगत् भूमि यह पाये जाने पर की वादगत् भूमि एक बारानी भूमि है जिस पर यदि कृषि कुआं स्थापित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उत्पादन अच्छा होगा। इसी क्रम में रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी द्वारा अण्डरटेकिंग प्रदान की गई है कि यदि अपीलांट/प्रार्थी चाहे तो वह अपने हक व हिस्से की भूमि पर कृषि कनेक्शन प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र रहेगा।

(5) ऐसी स्थिति में जब अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया जा चुका है कि अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण/अपीलांट के हितों को प्रभावित किये बिना कृषि कुएं पर विद्युत कनेक्श प्राप्त करता है तो इसमें किसी प्रकार की कोई त्रूटि नहीं है इसी क्रम में अदालत मातहत द्वारा के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा यह भी अण्डरटेकिंग प्रदान की गई है कि यदि प्रार्थीगण अपने हक व हिस्से की भूमि पर विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया जाता है तो उन्हें किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं होगा तथा वे इस बाबत् पाबन्द रहेंगे। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत के उक्त आदेश से किसी भी पक्षकार को अपूरणीय क्षति कारित नहीं होनी है। लिहाजा अदालत मातहत का आदेश न्यायोचित व तर्कसंगत आदेश है जिसमें अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी कोलायत का आदेश दिनांक 09—09—2011 यथावत बहाल रखा जाता है

8. निर्णय आज दिनांक 10.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर